



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-1768-अ0प्र0-07/पाकालि/23-25-अ0प्र0-07/22

दिनांक 28/06/2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम/ गृह जनपद/ जन्मतिथि/ वरि०क्र० SAP ID सर्वश्री/सुश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान सं०	प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई
1	2	3	5	4
1	शील कुमार/ अतर सिंह/ मुजफ्फरनगर/07-09-1968/17702217 10/CEH/9219886	वि०वि०खं०, बिलासपुर	2022058	केस्को, कानपुर
2	वीर बहादुर सिंह/ भोजराज सिंह/ अलीगढ़/20-06-1987/11005135 2012/CEH/36	वि० कार्यशाला खं०, अलीगढ़	2022059	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
3	रामू गुप्ता/ गोविन्द प्रसाद गुप्ता/ बांदा/21-10-1990/11003887 2012/CEH/50	वि०वि०खं०, प्रथम, उरई	2022060	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
4	कामेश कुमार/ तेजपाल सिंह/ अलीगढ़/18-07-1989/11005244 2012/CEH/63	वि० वि०खं०, तृतीय इटावा	2022061	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
5	तारा सिंह/ राम नरेश सिंह/ इलाहाबाद/01-02-1982/11002760 2012/CEH/86	वि० वि० खं०, प्रथम, जौनपुर	2022062	उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन का०लि०
6	राजकुमार यादव/ शिवपूजन यादव/ गाजीपुर/10-02-1992/11001559 2012/CEH/88	वि०वि०खं०-षष्ठम, आजमगढ़	2022063	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
7	निखिल शेखर सिंह/खड्ग बहादुर सिंह/ बलिया/27-07-1992/11001466 2012/CEH/92	वि०वि० खं० फूलपुर आजमगढ़	2022064	केस्को, कानपुर
8	कमलजीत कुमार मल्ल/ राम चन्द्र मल्ल/ मऊ/03-08-1986/11003435 2012/CEH/93	वि०वि० खं० द्वितीय चौबेपुर कानपुर नगर	2022065	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
9	रामसूरत वर्मा/ मंशाराम वर्मा/ फैजाबाद/20-12-1986/11004365 2012/CEH/94	वि०वि०खं०, प्रथम गोण्डा	2022066	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
10	रागेश सिंह/ बलवन्त सिंह/ कौशाम्बी/02-11-1983/11005969 2012/CEH/95	वि०न० वि०खं०, नैनी, प्रयागराज	2022067	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

- यह प्रोन्नति आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगा।
- इस आदेश द्वारा प्रोन्नत किये जा रहे अभियन्ताओं की सहायक-अभियन्ता के पद पर एकल पारस्परिक वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2022-23 में सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयनित होने वाले सहायक अभियन्ताओं के साथ Amalgamate करते हुए घोषित की जायेगी।

Signature

4. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
5. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
6. सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ताओं (वै0 एवं यां0) के नियंत्रक अधिकारी, उन्हें अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि : -
 - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के विरुद्ध किसी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (घ) अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
7. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से **01 माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत अभियन्ता को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
8. वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक उपरोक्त अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
9. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

अध्यक्ष

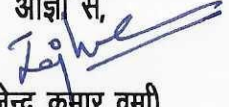
संख्या :-1768-अ0प्र0-07/पाकालि/2023/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ /मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारिषद-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त प्रोन्नत अभियन्ता का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-653/अनु-01 /सहा0अभि0/पदो0, दिनांक 16.06.2023 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
9. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।



15. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ताओं को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03/04), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ई०मेल—ds0304uppcl@gmail.com / uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई०मेल—vetanlekha@gmail.com) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)
